

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या / 100 / 2025 वाद

दायर दिनांक 16.09.2025

उनवान

1. जगदीश चन्द्र पिता स्व० कन्हैयालाल जाति ओझा आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ हाल निवास आदर्शनगर, यश विहार के पीछे, कोटा रोड, भीलवाड़ा (राज.)।

1. लक्ष्मीलाल पिता स्व० कन्हैयालाल जाति ओझा आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. चांदमल पिता स्व० कन्हैयालाल जाति ओझा आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. भूमिधारी तहसीलदार तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री अभिषेक ओझा
एकतरफा

-वादी
-प्रतिवादी सं० 1 से 2

-: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :-

निर्णय दिनांक: 27.04.2026

-:निर्णय:-

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की आराजीयात मौजा नाथी का खेड़ा पटवार हल्का उचनारखुर्द तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके खाता संख्या 39 के हाल आराजी नम्बर 264, 265 कुल किता 02 कुल रकबा 0.68 हैक्ट० दर्ज राजस्व रेकार्ड है। जिसमें मुझ वादी अपने हिस्से पर काबिज होकर अपने हिस्से पर निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग कर रहा है। अतः प्रार्थना है कि-

- पक्ष वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण बंटवाडा आराजीयात की डिक्री मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार फरमाई जावें तदनुसार लगान जमाबन्दी अलग कायम करा अलग खातेदार काश्तकार बनाया जावें।

- अन्य कोई दाद मुफिद जो न्यायालय उचित समझे वादी को दिलाई जावें व हर्जा खर्चा वकील मेहनताना प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से आज दिनांक 14.10.2025 को जवाब इकबालिया प्रस्तुत किया गया जो शा० फा० किया गया।

उक्त वाद पत्र में दिनांक 14.10.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 17.04.2026 से प्रस्तुत की गई। जो शा०फा० की गयी। वहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। अतः वादी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 27.04.2026 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा नाथी का खेड़ा पटवार हल्का उचनारखुर्द तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके खाता संख्या 39 के हाल आराजी नम्बर 264, 265 कुल किता 02 कुल रकबा 0.68 हैक्ट० स्थित है, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 17.04.2026 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है-

1. जगदीश चन्द्र पिता स्व० कन्हैयालाल हिस्सा पुर्ण जाति ब्राह्मण सा० उचनारकलां खातेदार

क्र.स.	आ०स०	रकबा (है०)	किस्म
1	264 / 1	0.09	बी 2
2	265 / 1	0.136	चाही 2
योग	कुल किता-02	0.226	

2. चांदमल पुत्र कन्हैयालाल हि0 1/2 जाति ब्राह्मण सा0 उचनारकलां खातेदार रहन ग्राम सेवा सहकारी समिति शाखा-हथियाना, लक्ष्मीलाल पुत्र कन्हैयालाल हि0 1/2 जाति ब्राह्मण सा0 उचनारकलां खातेदार रहन- बैंक आफ बडौदा शाखा भादसोडा।

क.स.	आ0सा0	रकबा (हे0)	किस्म
1	262/2	0.06	वी 2
2	265/2	0.394	चाही 2
योग	कुल कित्ता-02	0.454	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 27.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेश सुवालका)
सहायक क्लर्क व
उपखण्ड अधिकारी कपासन
कपारसन जिला-चित्तौडगढ़

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन

पीठासीन अधिकारी :- राजेश सुवालका (R.A.S.)

उनवान
बनाम

1. जगदीश चन्द्र पिता स्व० कन्हैयालाल जाति ओझा आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ हाल निवास आदर्शनगर, यश विहार के पीछे, कोटा रोड, भीलवाड़ा (राज.)।

1. लक्ष्मीलाल पिता पिता स्व० कन्हैयालाल जाति ओझा आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. चांदमल पिता स्व० कन्हैयालाल जाति ओझा आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. भूमिधारी तहसीलदार तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

दावा बाबत 53 आर.टी. एक्ट

मुकदमा नम्बर :- 101/2025

निर्णय दिनांक :- 27.04.2026

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री अभिषेक ओझा व प्रतिवादीगण की ओर से एकतरफा में आज तारीख 27.04.2026 को राजेश सुवालका (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, कपासन के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि- मौजा नाथी का खेड़ा पटवार हल्का उचनारखुर्द तहसील कपासन के हल्के बैरुनी में स्थित है जिसके खाता संख्या 39 के हाल आराजी नम्बर 264, 265 कुल किता 02 कुल रकबा 0.68 हैक्ट० स्थित है, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 17.04.2026 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है-

1. जगदीश चन्द्र पिता स्व० कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी उचनारकलां खातेदार

क.स.	आ०स०	रकबा (है०)	किस्म
1	264/1	0.09	बारानी 2
2	265/1	0.136	चाही 1
योग	कुल किता-02	0.226	

2. चांदमल पुत्र कन्हैयालाल हि० 1/2 जाति ब्राह्मण सा० उचनारकलां खातेदार रहन ग्राम सेवा सहकारी समिति शाखा-हथियाना, लक्ष्मीलाल पुत्र कन्हैयालाल हि० 1/2 जाति ब्राह्मण सा० उचनारकलां खातेदार रहन- बैंक आफ बड़ौदा शाखा भादसोड़ा।

क.स.	आ०स०	रकबा (है०)	किस्म
1	262/2	0.06	बारानी 2
2	265/2	0.394	चाही 2
योग	कुल किता-02	0.454	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।


यह आज तारीख 27.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर कपासन

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	-	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	-
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	-	अर्जी के लिए स्टाम्प	-
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	-	प्लीडर की फीस	-
4. रुपये पर प्लीडर की फीस	-	साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	-
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	-	आदेशिका की तामिल	-
6. कमिश्नर की फीस	-	कमिश्नर की फीस	-
7. आदेशिका की तामिल	-		-
	जोड़		जोड़




 सहायक कलेक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)
 कषासन जिला-जि. गढ़